


— : आदेश :—


अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामचन्द्र के हक बंट में मौजा रोटू का खेत खसरा नम्बर 954/276 रकबा 0.5504 हैक्टेयर में से 0.2671 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार व मौजा बटवाड़ी का खेत खसरा नम्बर 211/1841 रकबा 3.6179 हैक्टेयर में से 2.2379 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 2. प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण के हक बंट में मौजा रोटू का खेत खसरा नम्बर 447 रकबा 0.2671 हैक्टेयर पूरा यथावत एवं खसरा नम्बर 958/406 रकबा 1.2545 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 3. प्रतिवादी संख्या 2 राकेश के हक बंट में मौजा रोटू का खेत खसरा नम्बर 954/276 रकबा 0.5504 हैक्टेयर में से 0.2671 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार तथा मौजा बटवाड़ी का खेत खसरा नम्बर 211/1841 रकबा 3.6179 हैक्टेयर में से 1.3800 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा नजरी नक्शानुसार व खसरा नम्बर 351/211 रकबा 0.8579 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 4. वादी रामचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 2 राकेश कि संयुक्त काब्जा काश्त हक बंट में मौजा रोटू के खसरा नम्बर 954/276 रकबा 0.5504 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर उत्तरी-पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
 5. प्रतिवादीगण संख्या 3 सुमित्रा के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
- फेक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।


(अनिल प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 31/3/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर
न्यायालय में सुनाया गया।




(अनिल प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल